एमआरओ/डीओएस/डीओसी/2025/04785
23 सितम्बर, 2025

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां

महोदया/महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी/ प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 के लाभार्थियों को समयबद्ध एवं परेशानी मुक्त ऋण

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के अंतर्गत आवास ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने और प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू)/प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा संस्थागत वित्त तक समय पर और परेशानी मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने निम्नलिखित पहल की हैं:

2. लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) और भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के अंतर्गत स्वीकृत लाभार्थियों की सूची पीएमएवाई 2.0 एकीकृत वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है, जिसका उपयोग लाभार्थियों से जुड़ने और उनकी ऋण-योग्यता का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) भी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के घटक में से एक है, जिसके अंतर्गत पात्र ग्राहकों को भारत सरकार से ब्याज सब्सिडी मिलती है।

3. संभावित ऋण जोखिम को कम करने के लिए, राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी (एनसीजीटीसी) के माध्यम से निम्न आय आवास के लिए एक समर्पित ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना (सीआरजीएफटीएलआईएच) भी कार्यान्वयित की जा रही है।

इस संबंध में, सभी आवास वित्त कंपनियां उपरोक्त पहलों का लाभ उठाकर पात्र प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू)/प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 लाभार्थियों को समयबद्ध और परेशानी मुक्त ऋण स्वीकृति और संवितरण सुनिश्चित करेंगी।

भवदीय,

सौरव सील
महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग